

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-

संख्या-12/निजी-70567/2023 सा0प्र0-

/श्री वीरेन्द्र कुमार, बि0प्र0से0

(को0 क्र0-560/24), जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जमुई को पत्नी के बेहतर ईलाज कराने हेतु दिनांक-18.11.2025 से दिनांक-02.12.2025 तक कुल-15 (पन्द्रह) दिनों की उपभोग की गई छुट्टी को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित छुट्टी के रूप में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त 15 (पंद्रह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति के उपरान्त श्री कुमार के पक्ष में कुल-300-15=285 (दो सौ पचासी) दिनों की उपार्जित छुट्टी एवं कुल-280 (दो सौ अस्सी) दिनों की अर्द्धवैतनिक छुट्टी आदेय होगी।

3. श्री कुमार को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं0-5632, दिनांक-26.06.2015 की कंडिका-8 (iii)के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने के उपरांत वेतन पूर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


ह0/-

(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-12/निजी-70567/2023 सा0प्र0-4839/पटना, दिनांक-12.3/26

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, जमुई/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्री वीरेन्द्र कुमार, बि0प्र0से0 (को0 क्र0-560/24), जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जमुई/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
11/03.2025  
सरकार के उप सचिव।